न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।
सत्र विचारण संख्या 18/2021
सरकार बनाम रामदास आदि

02.06.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार कराई गई। अभियुक्तगण उत्तम चन्द्र जैन, देवेन्द्र कुमार व अनूप जैन उपस्थित हैं। शेष की हाजिरी माफी आज के लिए प्रस्तुत। स्वीकृत। अभियुक्त सोहन कुशवाहा के विरुद्ध जारी एन.बी.डब्ल्यू. पर अभियुक्त सोहन की मृत्यु आख्या प्रस्तुत की गयी थी कि अभियुक्त सोहन की मृत्यु दिनाँक 14.04.2025 को सड़क दुर्घटना में हो गयी है। आख्या के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

आज दिनाँक को उक्त मृत्यु आख्या प्रस्तुत करने वाले उपनिरीक्षक गौरव कुमार का एक किता बयान न्यायालय साक्षी के रूप में अंकित किया गया है, जिसमें उक्त उपनिरीक्षक गौरव कुमार द्वारा कथन किया गया है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त सोहन के विरुद्ध जारी एन.बी.डब्ल्यू. के निष्पादन हेतु वह अभियुक्त सोहन कुशवाहा पुत्र खुशीलाल निवासी डोंगराकला, थाना नाराहट, जनपद ललितपुर गया तो अभियुक्त की पत्नी एवं माँ ने बताया कि अभियुक्त सोहन की मृत्यु दिनाँक 14.04.2025 को सड़क दुर्घटना में हो गयी तथा यह भी बताया कि सोहन के पहले पिता का नाम बच्चू था तथा मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति अभियुक्त सोहन के घर वालों द्वारा दी गयी थी। वह उक्त अभियुक्त सोहन की मृत्यु की पुष्टि करता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्त सोहन कुशवाहा पुत्र खुशीलाल की मृत्यु दिनाँक 14.04.2025 को हो गयी है। अतः अभियुक्त सोहन कुशवाहा के विरुद्ध सत्र विचारण संख्या 18/2021 की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य दिनाँक 02.06.2025 को पेश हो।

दिनाँकः 02.06.2025

सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।

Digitally signed by NARENDRA KUMAR JHA
Date: 2025.06.02 13:15:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court